

- आदेश :-

उपरोक्त प्रार्थनों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अनिलेख दुरस्ती हेतु निर्देयन किया है जो इन दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप सहसिलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उप दुरस्ती परस्पर लिपिकों वृत्त सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु निर्देशित प्रार्थनों को है तथा अनिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अनिलेख में होने योग्य है। उक्त निर्देशित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

पूर्व इन्द्राज					स्वीकृत किया गया इन्द्राज		
1	2	3	4	5	6	7	8
क्र. सं.	जात संख्या	जातिदार का नाम	खसरा संख्या	मुक्का (हे.प)	जातिदार का नाम	खसरा संख्या	मुक्का (हे.प)
पद्यामबर	67	राजकुमार पुत्र रमेश्वर जाति ब्राह्मण आ. देह खसतिदार शेष बलस्टूर	49	0.26	राजेश कुमार पुत्र रमेश्वर लाल जाति ब्राह्मण आ. देह खसतिदार शेष बलस्टूर	49	0.26

क्रमांक :- 971

दिनांक :-

उप सहसिलदार, मौलासर

Handwritten Signature

विश्विन्द्र प्रभारी
(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना)
PGKSA-2021, प.स. मौलासर

दिनांक :- 18/11/21

Handwritten Signature

विश्विन्द्र प्रभारी
(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना)
PGKSA-2021, प.स. मौलासर

दिनांक :-

क्रमांक :-
दिनांक :-

को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्दिष्ट रूप से

उप सहसिलदार, मौलासर